प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 22.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

“मिशन शक्ति फेज-5.0” के तहत महोबा पुलिस की मिशन शक्ति/एण्टीरोमियो टीम द्वारा जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन कर किया गया जागरूक-

प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाये जा रहे “मिशन शक्ति फेज- 05” के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 22.01.2025 महोबा पुलिस के समस्त थानों की महिला बीट अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में चौपाल लगाकर महिलाओं/बालिकाओं को महिला सम्बन्धी साइबर अपराध के सम्बन्ध में जागरुक कर महिला एवं बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं व घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, पाक्सो, बाल विवाह प्रतिषेध व महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रमुख अपराधों की जानकारी दी गई। महिला हिंसा से सम्बन्धित तथा अन्य शिकायतों के निवारण हेतु 1. वूमेन पावर लाइन (1090) 2. पुलिस आपातकालीन सेवा (112) 3. सीएम हेल्पलाइन नंबर (1076) 4. चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (1098) 5. वन स्टाप सेन्टर (181) 6. साइबर हेल्पलाइन नंबर (1930) 7. स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन नंबर (102) 8. एम्बुलेन्स सेवा (108) 9. जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने की हेल्प डेस्क, जिला संरक्षण अधिकारी, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग, जनपद न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्बन्ध में एवं साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 22.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 22.01.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 22.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 06 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध जुआ/सट्टा पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 21.01.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र के सिद्ध बाबा मन्दिर ग्राम महोबकंठ के पास हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 06 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.विपिन पटेल पुत्र कैलाश पटेल उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम थलौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा 2.संदीप पटेल पुत्र स्व0 मोहनलाल उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम महोबकंठ थाना महोबकंठ जनपद महोबा 3.अजय कोरी पुत्र चन्द्रनारायन कोरी उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम हैवतपुरा पनवाड़ी थाना पनवाड़ी जनपद महोबा 4.लोकेन्द्र राजपूत पुत्र हरी सिंह राजपूत उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम कनकुंआ थाना महोबकंठ जनपद महोबा 5.प्रेम अहिरवार पुत्र स्व0 रमेशचन्द्र अहिरवार उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम चिरवाई थाना हरपालपुर जनपद छतरपुर म0प्र0 6.नीरज कुमार पुत्र स्व0 बद्री प्रसाद अहिरवार उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम रजौनी थाना महोबकंठ जनपद महोबा को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। जिनके कब्जे से मालफड़ 1200 रुपये, जामातलाशी 950 रूपये कुल 2150 रूपये व 52 अदद ताशपत्ता एवं अखबारी पेपर बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 16/2025 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 राजेश कुमार
2.उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा
3.हे0कां0 फूल सिंह
4.होगा0 जगभान

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने 10 लीटर अवैध शराब के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 21.01.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित की गई थाना चरखारी व आबकारी की संयुक्त पुलिस टीम ने मुखविर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र के कबूतरा डेरा वहद ग्राम सूपा के पास से 02 नफर अभियुक्तागण क्रमशः 1. रूपा पत्नी बाबू कबूतरा उम्र 42 वर्ष निवासी कबूतरा डेरा सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा 2. शक्करवती पत्नी ज्ञान सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी कबूतरा डेरा सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा को 02 अलग-अलग प्लास्टिक की पिपिया में कुल 10 ली0 कच्ची देशी शराब महुआ नाजायज बरामद करते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभि0गण उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 13/2025 व मु0अ0सं0 14/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 विनोद कुमार सिंह चौकी प्रभारी सूपा थाना चरखारी मय टीम
2. आबकारी निरीक्षक अर्पित गुप्ता मय टीम

गिरफ्तार अभियुक्त–

1.रूपा पत्नी बाबू कबूतरा उम्र 42 वर्ष निवासी कबूतरा डेरा सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा

2.शक्करवती पत्नी ज्ञान सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी कबूतरा डेरा सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा

थाना कबरई की पुलिस टीम मुकदमें से सम्बन्धित एक नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 22.01.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कबरई निरीक्षक श्री निर्मल कुमार बाजपेई द्वारा गठित की गई उ0नि0 मधुरेश कुमार त्रिपाठी मय हमराह कां0 अंकित कुमार पटेल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत मु0नं0 2631/2019 सर/बाबूराम पाल आदि धारा 143/147/149/186/188/341/353 भादवि व 7 सीएल एक्ट थाना कबरई जनपद महोबा से सम्बन्धित वारण्ट के क्रम में एक नफर वारंटी अभियुक्त शीलू सिंह पुत्र श्याम सिंह उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा को थानाक्षेत्र के ग्राम मकरबई से नियमानुसार गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में सम्बन्धित माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 मधुरेश कुमार त्रिपाठी
2. कां0 अंकित कुमार पटेल

गिरफ्तार अभियुक्त-

शीलू सिंह पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा उम्र करीब 32 वर्ष।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 22.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने थानाक्षेत्र में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान अलग-अलग स्थानों में चोरी की रेकी कर रहे तीन नफर अभियुक्तों को 03 अवैध तमंचा व 03 जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है-

महाकुम्भ- 2025 को निर्विघ्न वातावरण में सकुशल सम्पन्न कराये जाने के तहत जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के म.प्र. राज्य से सटे हुए सीमावर्ती थानाक्षेत्रों में चोरी एवं अवैध शस्त्रों पर प्रभावी रोकथाम हेतु चलाये जा रहे सघन चेकिंग अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 22.01.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में थाना श्रीनगर प्र0नि0 श्री अवधेश कुमार मिश्रा द्वारा थाना स्तर पर संयुक्त पुलिस टीमों का गठन किया गया।

थाना श्रीनगर में गठित हुई संयुक्त पुलिस टीमों को अभियान के तहत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, इस दौरान थाना क्षेत्र के भिन्न स्थानों से 03 नफर अभियुक्तगण जो शीतऋतु में ठण्ड व घने कोहरे का लाभ लेकर चोरी हेतु रेकी कर रहे थे, इनमें से प्रत्येक अभियुक्त के कब्जे से एक-एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक-एक अदद अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर (कुल 03 अदद तमंचा व 03 अदद कारतूस) के साथ क्रमशः 1.अरमान खान पुत्र शान खान उम्र करीब 26 वर्ष निवासी कुर्रहा थाना गढी मलहरा जनपद छतरपुर म.प्र. को थाना क्षेत्र के कैमहा नौगांव तिराहे के पास से 2.शेर सिंह राजपूत पुत्र वंशगोपाल राजपूत उम्र करीब 30 वर्ष निवासी फुटेरा थाना श्रीनगर को थानाक्षेत्र के बिलखी तिराहे के पास से 3.कामता प्रसाद राजपूत उर्फ बडे पुत्र रघुवीर सिंह उम्र करीब 30 वर्ष निवासी फुटेरा थाना श्रीनगर को थानाक्षेत्र के प्र0पाठशाला इमिलिया के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी के उपरान्त जेल भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.अरमान खान पुत्र शान खान उम्र 26 वर्ष निवासी कुर्रहा थाना गढी मलहरा जनपद छतरपुर म.प्र.
2.शेर सिंह राजपूत पुत्र वंशगोपाल राजपूत उम्र करीब 30 वर्ष निवासी फुटेरा थाना श्रीनगर महोबा
3.कामता प्रसाद राजपूत उर्फ बडे पुत्र रघुवीर सिंह उम्र करीब 30 वर्ष निवासी फुटेरा थाना श्रीनगर

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

1. उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह 2. उ0नि0 निकिता शुक्ला 3.हे0कां0 विनोद सिंह
1.व0उ0नि0 कन्हैया लाल 2.उ0नि0 कन्हैया लाल पटेल 3.हे0कां0 ओमप्रकाश 4.हे0कां0 शिवदयाल
1.उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह 2. उ0नि0 संदीप विमल 3. हे0कां0 रमाशंकर पटेल

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में SPEL (स्टूडेंट पुलिस एक्सप्रिएन्शल लर्निंग प्रोग्राम) के तहत चयनित छात्र- छात्राओं को थाना कोतवाली नगर में पुलिस कार्यप्रणाली की दी गयी जानकारीः-

पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में आज दिनांक 22.01.2025 को भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग के तत्वाधान में आयोजित हो रहे कार्यक्रम **Student Police Experiential Learning (SPEL)** कार्यक्रम के तहत थाना कोतवाली नगर महोबा में चयनित छात्र/छात्राओं को सामाजिक समस्याओं से अवगत कराते हुए उनमें संवेदनशीलता विकसित करने व तनाव प्रबंधन सीखने के लिये प्रशिक्षण देने तथा पुलिस की कार्यप्रणाली एवं विभिन्न अभिलेखों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान किए जाने के उद्देश्य से इस 30 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की गयी है।

प्रशिक्षण के प्रथम दिवस के दौरान कालेज के छात्र/छात्राओं द्वारा अपना-अपना परिचय प्रदान किया गया एवं पुलिस कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गये, जिस पर थाना कोतवाली नगर महोबा में तैनात कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए अभिषेक वर्मा द्वारा छात्रों के प्रश्नों के सम्बन्ध में समुचित प्रत्युत्तर देकर छात्र/छात्राओं को जागरुक किया गया है।

कार्यक्रम के उद्देश्य:

1. सामाजिक जागरूकता: छात्रों को समाज में कानून और व्यवस्था की भूमिका समझाना।
2. नैतिकता और अनुशासन: छात्रों में नैतिक मूल्यों और अनुशासन की भावना विकसित करना।
3. नेतृत्व कौशल: नेतृत्व क्षमता, आत्म-विश्वास, और निर्णय लेने की योग्यता को बढ़ावा देना।
4. कानून का ज्ञान: छात्रों को संविधान, मानवाधिकार, और कानून की बुनियादी जानकारी देना।
5. समुदाय-उन्मुख सोच: छात्रों को समाजिर समस्याओं की समझ समाधान में भागीदार बनाना।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 22.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

यातायात पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों के प्रति जागरुकता हेतु चलाया गया अभियान, यातायात नियमों की जानकारी प्रदान कर यातायात नियमों की दिलाई शपथ, वितरित किये जागरुकता पम्पलेट।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी रोकथाम के लिए चलाये जा रहे यातायात जागरुकता कार्यक्रमों के तहत आज दिनांक- 22.01.2025 को प्रभारी यातायात महोबा श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम द्वारा प्राइवेट बस स्टैण्ड में पहुंचकर वहा मौजूद बस चालकों एवं परिचालकों को एकत्रित कर उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया जिसमें उनको वाहन चलाते समय किन-किन सावधानियों को ध्यान देना चाहिए जिससे सड़क दुर्घटना को रोका जा सके। इन यातायात नियमों के प्रति जागरुक करते हुए सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन किये जाने की शपथ दिलाई गई साथ ही उन्हें यातयात नियमों के विषय में अवगत कराते हुए पालन करने हेतु प्रेरित करते हुए यातायात नियमों की जागरुकता के सम्बन्ध में पम्पलेट वितरित किए गए हैं।